भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 2969
उत्तर देने की तारीख: 10.03.2026

प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना

2969. श्री सुदामा प्रसाद:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-एजेएवाई) के अंतर्गत निधि का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है और विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान इनके उपयोग के प्रतिशत के साथ-साथ अनुमोदित आबंटन, जारी की गई धनराशि और वास्तव में उपयोग की गई निधि सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मंत्रालय ने कई राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में पीएम-एजेएवाई के अंतर्गत निधि के कम उपयोग पर ध्यान दिया है, यदि हां, तो उन राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जहां उक्त अवधि के दौरान इसका उपयोग निर्धारित मानकों से कम रहा है;

(ग) राज्य सरकारों द्वारा इस प्रकार के कम उपयोग के क्या कारण बताए गए हैं और निधि के उपयोग में सुधार लाने और समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है; और

(घ) उक्त अनियमितताओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए जिनमें वित्तीय नियंत्रणों को सुदृढ़ करना, समवर्ती लेखा परीक्षा, पीएफएमएस आधारित निगरानी और उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने और सत्यापन के लिए निर्धारित समय-सीमा सहित क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री रामदास आठवले)

(क): प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित एक केन्द्र प्रायोजित योजना है, जिसे वर्ष 2021-22 में तीन पूर्ववर्ती योजनाओं, अर्थात् आदर्श ग्राम, अनुसूचित जाति उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए को एससीएसपी) और बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का विलय करके शुरू किया गया था। इस योजना के तीन घटक हैं, अर्थात् (i) 'आदर्श ग्राम', (ii) 'अनुसूचित जाति (एससी) समुदायों की सामाजिक-आर्थिक बेहतरी के लिए जिला/राज्य

स्तरीय परियोजनाओं के लिए सहायता अनुदान और (iii) 'छात्रावास'। पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान पीएम-अजय योजना के अंतर्गत बजट अनुमानों और जारी निधि का विवरण इस प्रकार है:

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	वित्त वर्ष	बजट अनुमान	जारी की गई कुल निधि	व्यय का प्रतिशत
1.	2022-23	1950.00	163.13	8.4%
2.	2023-24	2050.00	465.64	22.71%
3.	2024-25	2140.00	729.49	34.08%

पिछले तीन वित्त वर्षों के दौरान जारी की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(ख) और (ग): पिछले तीन वित्त वर्षों के दौरान पीएम-अजय योजना के अंतर्गत निधियों का कम उपयोग इस योजना के अंतर्गत कार्यान्वयन करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा ग्राम विकास योजनाओं (वीडीपी) और परिप्रेक्ष्य योजनाओं को अंतिम रूप देने में हुए विलंब के कारण हुआ। इसके अलावा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने समयबद्ध तरीके से यूसी जमा नहीं किए थे और अपने एसएनए बैलेंस को क्लियर किया था, जिसके परिणामस्वरूप राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को आगे की किस्तें जारी करने में देरी हुई। इस समस्या के समाधान के लिए, विभाग ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें कीं; चिंतन शिविरों और राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन किया और अल्प निष्पादन करने वाले राज्यों और जिलों का क्षमता निर्माण और उन्हें सहायता देने पर जोर दिया।

(घ): पीएम-अजय के अंतर्गत वित्तीय प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर), 2017 के प्रावधानों, वित्त मंत्रालय के अनुमोदित दिशानिर्देशों और एसएनए-स्पर्श तंत्र के माध्यम से, जो निधि प्रवाह की रियल टाइम मॉनीटरिंग निगरानी को सक्षम बनाता है, के अनुसार निधियां जारी की जाती हैं। इसके अलावा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र जमा करने और सत्यापन के लिए निर्धारित समय-सीमा के साथ-साथ योजना की वास्तविक और वित्तीय प्रगति की रियल टाइम मॉनीटरिंग के लिए एक समर्पित पीएम-अजय पोर्टल विकसित किया गया है।

अनुलग्नक-I

प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2969 से संबंधित अनुलग्नक

विगत तीन वित्त वर्षों (2022-23 से 2024-25) के दौरान पीएम-अजय के तहत जारी निधि

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी की गई निधि (रुपये करोड़ में)		
		वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2024-25
1	आंध्र प्रदेश	0	8.79	40.07
2	असम	0.05	15.90	25.31
3	बिहार	56.53	0	8.72
4	छत्तीसगढ़	0	0	0
5	गुजरात	0	0	0
6	हरियाणा	0	0	7.19
7	हिमाचल प्रदेश	0	0	2.02
8	जम्मू-कश्मीर	0	5.13	8.58
9	झारखंड	0	0	0
10	कर्नाटक	23.77	4.50	24.24
11	केरल	1.35	3.86	2.27
12	मध्य प्रदेश	0	3.75	18.86
13	महाराष्ट्र	28.61	2.16	27.24
14	मणिपुर	7.00	0.03.	5.33
15	मेघालय	0	0	0
16	मिजोरम	0	0	3.93
17	नागालैंड	1.80	21.00	0
18	ओडिशा	1.49	48.34	46.85
19	पंजाब	41.26	0	45.87
20	राजस्थान	0	7.50	0
21	सिक्किम	0.16	3.72	1.91
22	तमिलनाडु	0	280.80	321.87
23	तेलंगाना	0	13.99	4.92
24	त्रिपुरा	1.10	4.73	5.09
25	उत्तर प्रदेश	0	3.07	65.76
26	उत्तराखंड	0	4.89	4.84
27	पश्चिम बंगाल	0	33.21	58.29
28	चंडीगढ़	0	0.22	0.24
29	दिल्ली	0	0	0
30	पुडुचेरी	0	0	0
	कुल	163.14	465.65	729.49

*****